



E-mail:- hegpgckhr@mp.gov.in
Phone No.:- +91-7282-241562
Fax No.:- +91-7282-2419 63

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर (अग्रणी) महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.)

क्रमांक/1384 / छात्रवृत्ति/2020

दिनांक 13/07/2020

प्रति,

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास विभाग,
खरगोन (म.प्र.)

विषय :- अनुसूचित जाति नवीनीकरण छात्र/छात्राओं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति/ स्वीकृति वर्ष 2019-20।

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भानुसार लेख है कि, सत्र 2019-20 में नियमित रूप से अध्ययनरत् अनुसूचित जाति नवीनीकरण 01 छात्र-छात्राओं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न:- अजा नवीनीकरण स्वीकृति आदेश क्रमांक/आ.जा.का./पी.एम.एस/1255363 खरगोन दिनांक 09.07.2020।

Schubh
7/6/20

Levy
डॉ. आर.एस. देवड़ा

प्राचार्य
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन
07282-241562



स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.ब.पी.एम.एस./1255363

खरगोन, दिनांक :-09/07/2020

विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत दैय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदान की जायेगी।

शैक्षणिक वर्ष	: 2019-20
शिक्षण संस्था	: Govt P G College Khargone
वर्ग	: SC स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases कुल जमागन्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 1
स्वीकृत राशि	: 1. निर्वाह भत्ता : 0 2. शिक्षण शुल्क सहित दैय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 3225
कुल	: 3225

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्ति रद्द की जायेगी।
2. यह स्वीकृति इन आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईवेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा। छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी।


प्रकाश
शा.स्वातकोत्तर महाविद्यालय,
खरगोन
07282-241502



4. छात्रवृत्ति स्थाई जाती प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत की गई है यह उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख/नोडल संस्था प्रमुख का होगा।
 5. छात्रवृत्ति स्वीकृति से पूर्व विद्यार्थी के पिता/ अभिभावक के व्यवसाय एवं आय की पुष्टि संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेशित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की पारता नहीं होगी।
 6. शासकीय संस्थाओं के संस्था प्रमुख अपने संस्था के छात्रों की छात्रवृत्ति स्वयं स्वीकृत करने के लिए अधिकृत हैं। अशासकीय संस्थाओं के छात्रों की स्वीकृति नोडल शासकीय संस्था प्रमुख की अनुमति पर नवीन प्रकरणों में जिले के कलेक्टर द्वारा एवं नवीनीकरण के प्रकरणों में अदिम जाती कल्याण विभाग के जिला अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जावेगी।
 7. छात्रवृत्ति की उक्त स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है कि संबंधित संस्था प्रमुख एवं नोडल संस्था प्रमुख (अशासकीय संस्थाओं के मामले में) को पो. मेट्रिक छात्रवृत्ति नियमों का शर्तिकावलि ज्ञान है एवं उनके द्वारा इस संबंध में शासन द्वारा समय - समय पर जारी समस्त नियम निर्देशों का स्वीकृति से पूर्व पालन किया गया है।
 8. विद्यार्थी के वैधानिक खाता ब्रमांक में प्राप्त होने वाली संस्था की शिक्षण शुल्क सहित अनिवार्य शुल्क विद्यार्थी द्वारा सैद्धांतिक संस्था में जमा कियी जावेगी। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आगामी वर्ष की छात्रवृत्ति विद्यार्थी के द्वारा संस्था को शिक्षण शुल्क जमा कराने के बाद ही स्वीकृत की जावेगी।
- संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

Leave
प्राचार्य
शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, खरगोन
07282-241562
खरगोन, दिनांक: 09/07/2020

प.क्रमांक/आ.जा.का./पी.एम.एस./1255363/

प्रतिनिधि:-

1. अध्यक्ष, अनुसूचित जाति विकास विभाग, रघुमता हिल्स, भोपाल, म.प्र.
2. सहायक अध्यक्ष, आदिवासी विकास, जिला:- खरगोन
3. प्राचार्य, Govt P G College Khargone

Leave
प्राचार्य
शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खरगोन
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, खरगोन
07282-241562



E-mail:- hegpgckhr@mp.gov.in
Phone No.:- +91-7282-241562
Fax No.:- +91-7282-2419 63

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर (अग्रणी) महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.)

क्रमांक/1383 / छात्रवृत्ति/2020

दिनांक 13/07/2020

प्रति,

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास विभाग,
खरगोन (म.प्र.)

विषय :- अनुसूचित जाति नवीन छात्र/छात्राओं की पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति/ स्वीकृति वर्ष
2019-20।

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भानुसार लेख है कि, सत्र 2019-20 में नियमित रूप से
अध्ययनरत् अनुसूचित जाति नवीन 02 छात्र-छात्राओं की पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृति
आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न:- अजा नवीन- स्वीकृति आदेश क्रमांक/आ.जा.का./पी.एम.एस/1255360 खरगोन
दिनांक 09.07.2020।

Schubh
16/7/20

Devi
डॉ. आर.एस. देवड़ा

प्राचार्य
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खरगोन
07282-241562

Government of Madhya Pradesh

Post Metric Scholarship for SC, Govt P G College Khargone

Sanction Order : 1255360 For Academic Year : 2019-20, Sanction Date : 09/07/2020

[Category :-SC]

[New Cases]



स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.क./पी.एम.एस./1255360

खरगोन, दिनांक :-09/07/2020

विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर सलगन सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृति की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृति राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जावेगी।

शैक्षणिक वर्ष : 2019-20
शिक्षण संस्था : Govt P G College Khargone
वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : New Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 2
स्वीकृति राशि : 1. निर्वाह भत्ता : 8480 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 8010
कुल : 16490

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नॉडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। यह स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा टी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृति रद्द की जायेगी।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईग्रेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान न हो इसका उतरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा। छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के प्रकरण में पूरे वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में सलगन कराई जायेगी।


प्राचार्य
शा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खरगोन
07282-241562

Generated By: Govt P G College Khargone

Locked By: Govt P G College Khargone

Designation: District Co-Ordinator

Designation: District Co-Ordinator



Page 1/3

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on: 11/07/2020



- छात्रवृत्ति स्थाई जाती प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत की गई है यह उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख/नोडल संस्था प्रमुख का होगा।
- छात्रवृत्ति स्वीकृति से पूर्व विद्यार्थी के पिता/ अभिभावक के व्यवसाय एवं आय की पुष्टि संस्था प्रमुख द्वारा की जायेगी। मैनेजमेंट कोर्ट से प्रवेशित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।
- शासकीय संस्थाओं के संस्था प्रमुख अपने संस्था के छात्रों की छात्रवृत्ति स्वयं स्वीकृत करने के लिए अधिकृत हैं। अशासकीय संस्थाओं के छात्रों की स्वीकृति नोडल शासकीय संस्था प्रमुख की अनुमति पर नवीन प्रकरणों में जिले के कलेक्टर द्वारा एवं तवीनीकरण के प्रकरणों में आदिम जाती कल्याण विभाग के जिला अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।
- छात्रवृत्ति की उक्त स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है कि संबंधित संस्था प्रमुख एवं नोडल संस्था प्रमुख (अशासकीय संस्थाओं के मामले में) को पो. मेट्रिक छात्रवृत्ति नियमों का भलीभांति ज्ञान है एवं उनके द्वारा इस संबंध में शासन द्वारा समय - समय पर जारी समस्त नियम निर्देशों का स्वीकृति से पूर्व पालन किया गया है।
- विद्यार्थी के वैधानिक खाता बन्नाक में प्राप्त होने वाली संस्था की शिक्षण शुल्क सहित अतिरिक्त शुल्क विद्यार्थी द्वारा वैधानिक संस्था में जमा करानी जायेगी। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आगामी वर्ष की छात्रवृत्ति विद्यार्थी के द्वारा संस्था को शिक्षण शुल्क जमा कराने के बाद ही स्वीकृत की जायेगी।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।


प्राचार्य
शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
स्वीकृतकर्ता अधिकारी :- खरगोन
07282-241562
संलग्न : दिनांक : 09/07/2020

प्र.क्रमांक/आ.जा.क.न./पी.एम.एस./1255360 /

प्रतिलिपि:-

- आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास विभाग, रघुमता हिल्स, भोपाल, म.प्र.
- सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला:- खरगोन
- प्राचार्य, Govt P G College Khargone


प्राचार्य
शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खरगोन
07282-241562



E-mail:- hegpgckhr@ mp.gov.in
Phone No.:- +91-7282-241562
Fax No.:- +91-7282-2419 63

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर (अग्रणी) महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.)

क्रमांक/ 1196 / छात्रवृत्ति/2020

दिनांक 10/06/2020

प्रति,

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास विभाग,
खरगोन (म.प्र.)

विषय :- अनुसूचित जाति नवीनीकरण छात्र/छात्राओं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति/ स्वीकृति वर्ष 2019-20।

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भानुसार लेख है कि, सत्र 2019-20 में नियमित रूप से अध्ययनरत अनुसूचित जाति नवीनीकरण 02 छात्र-छात्राओं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न:- अजा नवीनीकरण- स्वीकृति आदेश क्रमांक/आ./आ.जा.का./पी.एम.एस/1245352
खरगोन दिनांक 01.05.2020।

o/c

डॉ. आर.एस. देवड़ा

प्राचार्य

शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खरगोन

07282-241562

Government of Madhya Pradesh

Post Metric Scholarship for SC , Govt P.G College Khargone
Sanction Order : 1245352 For Academic Year : 2019-20 , Sanction Date : 01/05/2020

[Category :-SC]
[Renewal Cases]



स्वीकृति आदेश क्र./अ.न.का./पी.एस.एस./1245352

बस्मान , दिनांक -01/05/2020

विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकारों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों को बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकी ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जावेगी ।

वैधानिक वर्ष	: 2019-20
शिक्षण संस्था	: Govt P G College Khargone
वर्ग	: SC स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases कुल समाविष्ट छात्र/छात्राओं की संख्या : 2
स्वीकृत राशि	: 1. निर्वह मत्ता : 7200 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 15510
कुल	: 22710

सारणीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरोक्त आहरण हेतु एवं असासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरोक्त स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। यह स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अंशयन और संस्था में अनुसूचित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं संचालन तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्ति रद्द की जावेगी।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है कि संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईबैचन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का शुभगतन न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा। छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जावेगी।

Generated By: Govt P G College Khargone
Designation: District Co-Ordinator

Locked By: Govt P G College Khargone
Designation: District Co-Ordinator



Page 1/3
This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on: 01/05/2020

Government of Madhya Pradesh

Post Metric Scholarship for SC, Govt P G College Khargone

Sanction Order : 1245352 For Academic Year : 2019-20, Sanction Date : 01/05/2020

[Category :-SC]

[Renewal Cases]



4. छात्रवृत्ति स्टाई जाती प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत की गई है यह उत्तरदायित्व श्री संस्था प्रमुख/नोडल संस्था प्रमुख का होगा।
 5. छात्रवृत्ति स्वीकृति से पूर्व विद्यार्थी के पिता/ अभिभावक के व्यवसाय एवं आय की पुष्टि संस्था प्रमुख द्वारा की जायेगी। नैनेजमेंट कोट से प्रवेशित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की प्राप्ति नहीं होगी।
 6. शासकीय संस्थाओं के संस्था प्रमुख अपने संस्था के छात्रों की छात्रवृत्ति स्वयं स्वीकृत करने के लिए अधिकृत हैं। अशासकीय संस्थाओं के छात्रों की स्वीकृति नोडल शासकीय संस्था प्रमुख की अनुमति पर नवीन प्रकरणों में जिले के कलेक्टर द्वारा एवं नवीनीकरण के प्रकरणों में आदिम जल कल्याण विभाग के जिला अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।
 7. छात्रवृत्ति की उक्त स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है कि संबंधित संस्था प्रमुख एवं नोडल संस्था प्रमुख (शासकीय संस्थाओं के मामले में) को पी. मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमों का अवगतता ज्ञान है एवं उनके द्वारा इस संबंध में शासन द्वारा समय - समय पर जारी समस्त नियम निर्देशों का स्वीकृति से पूर्ण पालन किया गया है।
 8. विद्यार्थी की वैधानिक छात्र कर्मचारी में प्राप्त होने वाली संस्था की शिक्षण शुल्क सहित अनिवार्य शुल्क विद्यार्थी द्वारा वार्षिक संस्था में जमा कराया जायेगी। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आगामी वर्ष की छात्रवृत्ति विद्यार्थी के द्वारा संस्था को शिक्षण शुल्क जमा कराने के बाद ही स्वीकृत की जायेगी।
- संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

प.अ.प्रा.क./अ.जा.का./पी.एम.एस./1245352 /

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास विभाग, श्यामल हिल्स, भोपाल, म.प्र.
2. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला- खरगोन
3. प्राचार्य, Govt P G College Khargone


हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
प्राचार्य
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला- खरगोन
शिक्षण विभाग, जिला-खरगोन
दिनांक-01/05/2020
07282-241562


हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
प्राचार्य
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला- खरगोन
शिक्षण विभाग, जिला-खरगोन
दिनांक-01/05/2020
07282-241562

Generated By: Govt P G College Khargone
Designation: District Co-Ordinator

Locked By: Govt P G College Khargone
Designation: District Co-Ordinator

Page 3/3

This Sanction is generated by Scholarship Portal, Printed on 06/05/2020





E-mail:- hegpgckhr@ mp.gov.in
Phone No.:- +91-7282-241562
Fax No.:- +91-7282-2419 63

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर (अग्रणी) महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.)

क्रमांक/ 1195 / छात्रवृत्ति/2020

दिनांक 10/06/2020

प्रति,

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास विभाग,
खरगोन (म.प्र.)

विषय :- अनुसूचित जाति नवीन छात्र/छात्राओं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति/ स्वीकृति वर्ष 2019-20।

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भानुसार लेख है कि, सत्र 2019-20 में नियमित रूप से अध्ययनरत् अनुसूचित जाति नवीन 14 छात्र-छात्राओं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न:- अजा नवीन- स्वीकृति आदेश क्रमांक/आ.जा.का./पी.एम.एस/1246434 खरगोन
दिनांक 01.06.2020।

डॉ. आर.एस. देवड़ा

प्राचार्य

शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन

खरगोन

07282-241562

01/6



खरगोन, दिनांक -01/06/2020

स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1246434

विषय :- पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के आवेदनो एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर सलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत दिये निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकी ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी।

वैधानिक सत्र	:	2019-20
शिक्षण संस्था	:	Govt P.G College Khargone
वर्ग	:	SC स्वीकृति प्रकार : New Cases कुल सामान्यित छात्र/छात्राओं की संख्या : 14
स्वीकृत राशि	:	1. निर्वाह भत्ता : 57270 2. शिक्षण शुल्क सहित दिये सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 65050
कुल	:	122320

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरान्त आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरान्त स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। यह स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषपद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्ति रद्द की जायेगी।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईग्रेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा। छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी।

Government of Madhya Pradesh

Post Metric Scholarship for SC, Govt P G College Khargone

Sanction Order : 1246434 For Academic Year : 2019-20 , Sanction Date : 01/06/2020

[Category :-SC]

[New Cases]



4. छात्रवृत्ति स्वीकृत जाने पर के आधार पर स्वीकृत की गई है यह उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख/नोडल संस्था प्रमुख का होगा।
5. छात्रवृत्ति स्वीकृति से पूर्व विद्यार्थी के पिता/ अभिभावक को व्यवसाय एवं आय की पुष्टि संस्था प्रमुख द्वारा की जायेगी। मैनेजमेंट कैंडे से प्रेषित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।
6. शासकीय संस्थाओं के संस्था प्रमुख अपने संस्था के छात्रों की छात्रवृत्ति स्वयं स्वीकृत करने के लिए अधिकृत हैं। अशासकीय संस्थाओं के छात्रों की स्वीकृति नोडल शासकीय संस्था प्रमुख की अनुमति पर नवीन पत्राचारों में जिले के कलेक्टर द्वारा एवं नवीनीकरण के प्रकरणों में अंतिम जारी कल्याण विभाग के जिला अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।
7. छात्रवृत्ति की एक स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है कि संबंधित संस्था प्रमुख एवं नोडल संस्था प्रमुख (अशासकीय संस्थाओं के मामले में) को पो. मेट्रिक छात्रवृत्ति नियमों का भलीभांति ज्ञान है एवं उनके द्वारा इस संबंध में शासन द्वारा समय - समय पर जारी समस्त नियम निर्देशों का स्वीकृति से पूर्व पालन किया गया है।
8. विद्यार्थी के वैधानिक खाता ब्रम्हक में प्राप्त होने वाली संस्था की शिक्षण शुल्क सहित अनिवार्य शुल्क विद्यार्थी द्वारा वैधानिक संस्था में जमा कराया जावेगी। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आगामी वर्ष की छात्रवृत्ति विद्यार्थी के द्वारा संस्था को शिक्षण शुल्क जमा कराने के बाद ही स्वीकृत की जावेगी।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

प.क्रमांक/आ.जा.का.पी.एम.एस/1246434/

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास विभाग, स्वयंसेवा हिल्स, भोपाल, म.प्र.
2. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला:- खरगोन
3. प्राचार्य, Govt P G College Khargone

leave
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला - खरगोन,
प्रतिनिधिकार मेहाविद्यालय,
खरगोन, दिनांक 01/06/2020
07282-241562

leave
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

प्राचार्य
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला - खरगोन,
प्रतिनिधिकार मेहाविद्यालय,
खरगोन
07282-241562

Generated By: Govt P G College Khargone
Designation: District Co-Ordinator

Locked By: Govt P G College Khargone
Designation: District Co-Ordinator



Page 2/5

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on 01/06/2020



E-mail:- hegggckhr@ mp.gov.in
Phone No.:- +91-7282-241562
Fax No.:- +91-7282-2419 63

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर (अग्रणी) महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.)

क्रमांक/ 1198 / छात्रवृत्ति/2020

दिनांक 10/06/2020

प्रति,

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास विभाग,
खरगोन (म.प्र.)

विषय :- अनुसूचित जाति नवीन छात्र/छात्राओं की पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति/ स्वीकृति वर्ष 2019-20।

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भानुसार लेख है कि, सत्र 2019-20 में नियमित रूप से अध्ययनरत अनुसूचित जाति नवीन 62 छात्र-छात्राओं की पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न:- अजा नवीन- स्वीकृति आदेश क्रमांक/आ./आ.जा.का./पी.एम.एस/1240743
खरगोन दिनांक 20.04.2020।

o/c

डॉ. आर.एस. देवड़ा

प्राचार्य

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन

07282-241562



स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का.पी.एम.एस./1240743

छात्रों , दिनांक :-20/04/2020

विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकारों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार श्रेणियों की स्वीकृत राशि, विधार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकी ट्रांसफर के द्वारा प्रेषण की जायेगी।

वैधानिक वर्ष	: 2019-20
शिक्षण संस्था	: Govt P.G College Khargone
वर्ग	: SC स्वीकृति प्रकार : New Cases कुल सामान्य छात्र/छात्राओं की संख्या : 62
स्वीकृत राशि	: 1. निरवह भत्ता : 202876 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अतिरिक्त शुल्क सहित : 340050
कुल	: 542926

सामंकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरंत आहरण हेतु एवं असांकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरंत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। यह स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विधार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), सतोषपूर्वक अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सभ्यता तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्ति रद्द की जायेगी।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विधार्थियों का पवेश मूल टी.सी./माईटेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख द्वारा के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. किसी भी विधार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा। छात्रवृत्ति के गवनीकरण के प्रकरण में पूर्ण वर्ष की उत्तीर्ण की अंकावृत्तों (अन्य के आवंटन पत्र में संलग्न कराई जायेगी)।

Government of Madhya Pradesh

Post Metric Scholarship for SC, Govt P G College Khargone

Sanction Order : 1240743 For Academic Year : 2019-20 , Sanction Date : 20/04/2020

[Category :-SC]

[New Cases]

4. छात्रवृत्ति संघट्टे जाती प्रमाण पर के आधार पर स्वीकृत की गई है यह उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख/नोडल संस्था प्रमुख का होगा।
 5. छात्रवृत्ति स्वीकृति से पूर्व विद्यार्थी के पिता/अभिजातक के व्यवसाय एवं आय की पुष्टि संस्था प्रमुख द्वारा की जायेगी। मैनेजमेंट कोटे से पोषित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।
 6. शासकीय संस्थाओं के संस्था प्रमुख अपने संस्था के छात्रों की छात्रवृत्ति स्वयं स्वीकृत करने के लिए अधिकृत हैं। अशासकीय संस्थाओं के छात्रों की स्वीकृति नोडल शासकीय संस्था प्रमुख की अनुमति पर नवीन प्रकरणों में जिले के कलेक्टर द्वारा एवं नवीनीकरण के प्रकरणों में आदिन जारी कल्याण विभाग के जिला अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।
 7. छात्रवृत्ति की उक्त स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है कि संबंधित संस्था प्रमुख एवं नोडल संस्था प्रमुख (अशासकीय संस्थाओं के मामले में) को पो. मेट्रिक छात्रवृत्ति नियमों वर अनिवार्यता जान है एवं उनके द्वारा इस संबंध में शासन द्वारा समय - समय पर जारी समस्त नियम निर्देशों वर स्वीकृति से पूर्व पालन किया गया है।
 8. विद्यार्थी के वैधानिक खाल बर्तमान में प्राप्त होने वाली राशियां की शिक्षण शुल्क सहित अनिवार्य शुल्क विद्यार्थी द्वारा वैधानिक संस्था में जमा कराये जायेगी। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आगामी वर्ष की छात्रवृत्ति विद्यार्थी को द्वारा संस्था को शिक्षण शुल्क जमा करने के बाद ही स्वीकृत की जायेगी।
- संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

प्र.कम/आ.जा.का./पी.एम.एस/1240743 /

प्रतिनिधि:-

1. आयुक्त, अद्विष्टित जाति विकास विभाग, स्यामला हिल्स, भोपाल, म.प्र.
2. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला:- खरगोन
3. प्राचार्य, Govt P G College Khargone


हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
प्राचार्य
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला - खरगोन
आदिवासी विकास विभाग,
खरगोन, दिनांक-20/04/2020
07282-241562


हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
प्राचार्य
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला - खरगोन
आदिवासी विकास विभाग,
खरगोन
07282-241562

Generated By: Govt P G College Khargone

Designation: District Co-Ordinator

PMSC

Locked By: Govt P G College Khargone

Designation: District Co-Ordinator

Page 2/14

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on : 06/05/2020



E-mail:- hegpckhr@mp.gov.in
Phone No.:- +91-7282-241562
Fax No.:- +91-7282-2419 63

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर (अग्रणी) महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.)

दिनांक 10/06/2020

क्रमांक/1197 / छात्रवृत्ति/2020

प्रति,

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास विभाग,
खरगोन (म.प्र.)

विषय :- अनुसूचित जाति नवीनीकरण छात्र/छात्राओं की पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति/ स्वीकृति वर्ष 2019-20।

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भानुसार लेख है कि, सत्र 2019-20 में नियमित रूप से अध्ययनरत अनुसूचित जाति नवीनीकरण 61 छात्र-छात्राओं की पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न:- अजा नवीनीकरण- स्वीकृति आदेश क्रमांक/आ./आ.जा.का./पी.एम.एस/1232014
खरगोन दिनांक 20.04.2020।

01C


डॉ. आर.एस. देवड़ा
प्राचार्य
शास.स्नात. महाविद्यालय,
खरगोन
07282-241562

Government of Madhya Pradesh

Post Metric Scholarship for SC , Govt P G College Khargone
Sanction Order : 1232014 For Academic Year : 2019-20 , Sanction Date : 20/04/2020

[Category :-SC]
[Renewal Cases]



स्वीकृति आदेश क्र./अ.जा.का.पी.एम.एस./1232014

खर्गोन , दिनांक :-20/04/2020

विषय :- पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के धारणार्थी एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जावेगी।

वैधानिक सत्र : 2019-20
शिक्षण संस्था : Govt P G College Khargone
वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases कुल सामान्यित छात्र/छात्राओं की संख्या : 61
स्वीकृत राशि : 1, निर्बाह अंश : 198296 2, शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 291825
कुल : 490121

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरोक्त अहरण हेतु एवं असासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरोक्त स्वीकृति एवं अहरण हेतु प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। यह स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुपस्थित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी मान्य पाई जाती है एवं सर्वांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्ति रद्द की जावेगी।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईग्रेसल प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान न हो इसका उतरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा। छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवंटन पत्र में संलग्न कराई जावेगी।

Generated By: Govt P G College Khargone
Designation: District Co-Ordinator

Locked By: Govt P G College Khargone
Designation: District Co-Ordinator

REC

Page 1/13
This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on: 06/05/2020

Government of Madhya Pradesh

Post Metric Scholarship for SC, Govt P G College Khargone

Sanction Order : 1232014 For Academic Year : 2019-20, Sanction Date : 20/04/2020

[Category :-SC]

[Renewal Cases]



4. छात्रवृत्ति स्थाई जाती प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत की गई है यह उत्तरदायित्व श्री संस्था प्रमुख/नोडल संस्था प्रमुख का होगा।
 5. छात्रवृत्ति स्वीकृति से पूर्व विद्यार्थी को पिता/अभिभावक के व्यवसाय एवं आय की पुष्टि संस्था प्रमुख द्वारा की जायेगी। मैंनेजमेंट कोर्ट से प्रवेशित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।
 6. शासकीय संस्थाओं के संस्था प्रमुख अपने संस्था के छात्रों की छात्रवृत्ति स्वयं स्वीकृत करने के लिए अधिकृत हैं। अशासकीय संस्थाओं के छात्रों की स्वीकृति नोडल शासकीय संस्था प्रमुख की अनुमति पर नवीन प्रकरणों में जिने के कलेक्टर द्वारा एवं गतीनीकरण के प्रकरणों में आदिम जाती कल्याण विभाग के जिला अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।
 7. छात्रवृत्ति की उक्त स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है कि संबंधित संस्था प्रमुख एवं नोडल संस्था प्रमुख (अशासकीय संस्थाओं के मामले में) को पो. मेट्रिक छात्रवृत्ति नियमों का अवगतता ज्ञान है एवं उनके द्वारा इस संबंध में शासन द्वारा समय - समय पर जारी समस्त नियम निर्देशों का स्वीकृति से पूर्व पालन किया गया है।
 8. विद्यार्थी के वैधानिक खर्च क्रमांक में प्राप्त होने वाली संस्था की शिक्षण शुल्क सहित अनिवार्य शुल्क विद्यार्थी द्वारा वैधानिक संस्था में जमा कराया जायेगी। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आगामी वर्ष की छात्रवृत्ति विद्यार्थी के द्वारा संस्था को शिक्षण शुल्क जमा करने के बाद ही स्वीकृत की जायेगी।
- संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

प्र.क्रमांक/आ.जा.का.पी.एम.एस/1232014 /

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास विभाग, इण्डिया हिल्स, ओपान, म.प्र.
2. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला- खरगोन
3. प्राचार्य, Govt P G College Khargone

Deep
हस्ताक्षर एवं मुद्रा
स्वीकृत अधिकारी, जिला विकास
खरगोन, दिनांक 20/04/2020
07282-241562

Deep
हस्ताक्षर एवं मुद्रा
स्वीकृत अधिकारी, जिला विकास
खरगोन
07282-241562

Generated By: Govt P G College Khargone
Designation: District Co-Ordinator



Locked By: Govt P G College Khargone
Designation: District Co-Ordinator

Page 2/13

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on 09/05/2020



E-mail:- hegpgckhr@mp.gov.in
Phone No.:- +91-7282-241562
Fax No.:- +91-7282-241963

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर (अग्रणी) महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.)

क्रमांक/ 1199 / छात्रवृत्ति/2020

दिनांक 10/06/2020

प्रति,

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास विभाग,
खरगोन (म.प्र.)

विषय :- अनुसूचित जाति नवीन छात्र/छात्राओं की पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति/ स्वीकृति वर्ष 2019-20।

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भानुसार लेख है कि, सत्र 2019-20 में नियमित रूप से अध्ययनरत् अनुसूचित जाति नवीन 13 छात्र-छात्राओं की पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न:- अजा नवीन- स्वीकृति आदेश क्रमांक/आ./आ.जा.का./पी.एम.एस/1245353
खरगोन दिनांक 01.05.2020।

डॉ. आर.एस. देवड़ा

प्राचार्य

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन

खरगोन

07282-241562

Government of Madhya Pradesh

Post Metric Scholarship for SC, Govt P G College Khargone

Sanction Order : 1245353 For Academic Year : 2019-20, Sanction Date : 01/05/2020

[Category :-SC]

[New Cases]



स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का/पी.एम.एस./1245353

बखर्क - दिनांक :-01/05/2020

विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के प्रवर्धनों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संश्लेषण सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में टुलैन्डेटेड/नॉन-रिफंडेबल ट्रान्साफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी।

वैधानिक वर्ष : 2019-20

विद्यालय संस्था : Govt P G College Khargone

वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : New Cases कुल नामांकित छात्र/छात्राओं की संख्या : 13

स्वीकृत राशि : 1. निर्वह भता : 38466 2. विद्यालय शुल्क सहित देय राशि Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 60515

कुल : 98981

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरोक्त आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरोक्त स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करने। यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषदायक अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी सत्य पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्ति रद्द की जायेगी।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माइग्रेसन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान न हो। इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा। छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकों/परीक्षा के अंकों पर से संश्लेषण कराई जायेगी।

Generated By: Govt P G College Khargone

Designation: District Co-Ordinator



Locked By: Govt P G College Khargone

Designation: District Co-Ordinator

Page 1/5

This Section is generated by Scholarship Portal. Printed on: 06/05/2020

Government of Madhya Pradesh

Post Metric Scholarship for SC, Govt P G College Khargone

Sanction Order : 1245353 For Academic Year : 2019-20, Sanction Date : 01/05/2020

[Category :-SC]

[New Cases]



4. छात्रवृत्ति स्वीकृत जाती प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत की गई है यह उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख/नोडल संस्था प्रमुख का होगा।
 5. छात्रवृत्ति स्वीकृति से पूर्व विद्यार्थी के पिता/अभिभावक के व्यवसाय एवं आय की पुष्टि संस्था प्रमुख द्वारा की जायेगी। मैनेजमेंट कोट से प्रवेशित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।
 6. शारकीय संस्थाओं के संस्था प्रमुख अपने संस्था की छात्रों की छात्रवृत्ति स्वयं स्वीकृत करने के लिए अधिकृत हैं। अशासकीय संस्थाओं के छात्रों की स्वीकृति नोडल शासकीय संस्था प्रमुख की अनुमति पर नवीन प्रकरणों में जिले के कलेक्टर द्वारा एवं नवीनीकरण के प्रकरणों में आदिन जाती कल्याण विभाग के जिला अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।
 7. छात्रवृत्ति की उक्त स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है कि संबंधित संस्था प्रमुख एवं नोडल संस्था प्रमुख (अशासकीय संस्थाओं के मामले में) को पत्र, मेट्रिक छात्रवृत्ति नियमों का अवगतता ज्ञान है एवं उनके द्वारा इस संबंध में शासन द्वारा समय - समय पर जारी समस्त नियम निर्देशों का स्वीकृति से पूर्व पालन किया गया है।
 8. विद्यार्थी के वैधानिक ज्ञात क्रमांक में प्राप्त होने वाली संस्था की शिक्षण शुल्क सहित अनिवार्य शुल्क विद्यार्थी द्वारा रैशमिक संस्था में जमा कराये जायेगी। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आसामी वर्ष की छात्रवृत्ति विद्यार्थी के द्वारा संस्था को शिक्षण शुल्क जमा कराने के बाद ही स्वीकृत की जायेगी।
- संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

प्र.अनुसंधान/आ.आ.अ./पी.एम.एस/1245353/

प्रतिनिधि-

1. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास विभाग, रथमला हिल्स, भोपाल, म.प्र.
2. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला:- खरगोन
3. प्राचार्य, Govt P G College Khargone


हस्ताक्षर एवं प्रामुख
प्राचार्य
स्वीकृत/अतिरिक्त शिक्षण महविद्यालय,
खरगोन, दिनांक: 01/05/2020
07282-241562


हस्ताक्षर एवं प्रामुख
प्राचार्य
स्वीकृत/अतिरिक्त शिक्षण महविद्यालय,
खरगोन
07282-241562

Generated By: Govt P G College Khargone

Designation: District Co-Ordinator



Locked By: Govt P G College Khargone

Designation: District Co-Ordinator

Page 2/5

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on 06/05/2020

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर (अग्रणी) महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.)

क्रमांक/649/ छात्रवृत्ति/2020

दिनांक 19.02.2020

प्रति,


सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास विभाग,
खरगोन (म.प्र.)

विषय :- सत्र 2019-20 में नियमित रूप से अध्ययनरत् अनुसूचित जाति नवीन छात्र/छात्राओं के पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति।

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भानुसार लेख है कि, सत्र 2019-20 में नियमित रूप से अध्ययनरत् अनुसूचित जाति नवीन 303 छात्र-छात्राओं की पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न:- स्वीकृति आदेश क्रमांक/अ.आ./आ.जा.का./पी.एम.एस./1237704 खरगोन दिनांक 19.02.2020।

19/02/20
23/2/20


डॉ. आर.एस. देवड़ा
Principal
Goyt P.G. College, Khargons
शास. स्नात. महाविद्यालय, खरगोन
07202 249562

Post Metric Scholarship for Govt P G College Khargone
Sanction Order : 1237704 For Academic Year : 2019-20 , Sanction Date : 19/02/2020

[Category -SC]
[New Cases]

स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का.पी.एम.एस./1237704

खरगोन , दिनांक :-19/02/2020

विषय :- पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकी ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी।

वैधानिक सत्र : 2019-20
शिक्षण संस्था : Govt P G College Khargone
वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : New Cases कुल सांशान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 303
स्वीकृत राशि : 1. निर्वाह भत्ता : 786076 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 1587325
कुल : 2373401

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अकादमिक संस्थाओं के माध्यम से नोटिस संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। यह स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), सतीषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुसूचित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी शक्यता से सत्य है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्ति रद्द की जायेगी।
2. यह स्वीकृति इन आधार पर जारी की जा रही है कि संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईटेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा। छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी।


Principal
Govt. P. G. College, Khargone
19022020-241562

Generated By: Govt P G College Khargone
Designation: District Co-Ordinator

Locked By: Govt P G College Khargone
Designation: District Co-Ordinator

Page 1/44

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on 19/02/2020

4. छात्रवृत्ति स्थाई जाती प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत की गई है यह उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख/नोडल संस्था प्रमुख का होगा।


5. छात्रवृत्ति स्वीकृति से पूर्व विद्यार्थी को पिता/ अभिभावक के व्यवसाय एवं आय की पुष्टि संस्था प्रमुख द्वारा की जायेगी। मैनेजमेंट कोर्ट से प्रवेशित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की पात्रता हो होगी।

6. शासकीय संस्थाओं के संस्था प्रमुख अपने संस्था के छात्रों की छात्रवृत्ति स्वयं स्वीकृत करने के लिए अधिकृत हैं। अशासकीय संस्थाओं के छात्रों की स्वीकृति नोडल शासकीय संस्था प्रमुख की अनुमति पर नवीन प्रकरणों में जिले के कलेक्टर द्वारा एवं नवीनीकरण के प्रकरणों में आदिम जाती कल्याण विभाग के जिला अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

7. छात्रवृत्ति की उक्त स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है कि संबंधित संस्था प्रमुख एवं नोडल संस्था प्रमुख (अशासकीय संस्थाओं के मामले में) को पो. मेट्रिक छात्रवृत्ति नियमों की पूर्णतया जानकारी है एवं उनके द्वारा इस संबंध में शासन द्वारा समय - समय पर जारी समस्त नियम निर्देशों का स्वीकृति से पूर्व पालन किया गया है।

विद्यार्थी के वैधानिक छात्र कल्याण में प्राप्त होने वाली संस्था की शिक्षण शुल्क सहित अनिवार्य शुल्क विद्यार्थी द्वारा शैक्षणिक संस्था से जमा कराये जायेगी। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आगामी वर्ष की छात्रवृत्ति विद्यार्थी के द्वारा संस्था को शिक्षण शुल्क जमा कराने के बाद ही स्वीकृत की जायेगी।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।


हस्ताक्षर/पाठक/प्रमुख
स्वीकृत/अधिकारी, जिला
075-2511568 खरगोन
खरगोन, दिनांक - 19/02/2020

प.क्रमांक/आ.जा.का./पी.एम.एस/1237704/

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास विभाग, श्यामला हिल्स, भोपाल, म.प्र.
2. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला- खरगोन
3. प्राचार्य, Govt P G College Khargone


हस्ताक्षर/पाठक/प्रमुख
Govt. P. G. College, Khargone
स्वीकृत/अधिकारी, जिला 075-2511568 खरगोन

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर (अग्रणी) महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.)

क्रमांक/ 3056 छात्रवृत्ति/2019

दिनांक 27.12.2019

प्रति,

सहायक आयुक्त,
आदियासी विकास विभाग,
खरगोन (म.प्र.)

विषय :- अनुसूचित जाति नवीनीकरण छात्र/छात्राओं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति/स्वीकृति वर्ष 2019-20।

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भानुसार लेख है कि, सत्र 2019-20 में नियमित रूप से अध्ययनरत अनुसूचित जाति नवीनीकरण 324 छात्र-छात्राओं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न:- अजा नवीनीकरण- स्वीकृति आदेश क्रमांक/आ.जा.का./पी.एम.एस./1231904
खरगोन दिनांक 26.12.2019।

डॉ. आर.एस. देवड़ा

प्राचार्य

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन

07282-241562

स्वीकृति आदेश क्र./आ.आ.क./पी.एम.एस./1231904

खर्गोन, दिनांक -26/12/2019

विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के नव्य प्रकारों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्तावों के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्स्फर के द्वारा प्रदाय की जायेगी।

शैक्षणिक वर्ष : 2019-20

शिक्षण संस्था : Govt P G College Khargone

वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 324

स्वीकृत राशि : 1. निर्वाह भता : 1317960 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 1574520
कुल : 2892480

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरान्त आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरान्त स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। यह स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), सतोषपूर्वक अध्ययन और संस्था में अनुपस्थित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्ति रद्द की जायेगी।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माइंट्रीशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा। छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी।

Praveen
प्राचार्य
शा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खर्गोन
07282-241562



4. छात्रवृत्ति स्थाई जाती प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत की गई है यह उत्तरदायित्व और संस्था प्रमुख/लीडर संस्था प्रमुख का होगा।
 5. छात्रवृत्ति स्वीकृति से पूर्व विद्यार्थी के पिता/ अभिभावक के व्यवसाय एवं आय की पुष्टि संस्था प्रमुख द्वारा की जायेगी। मैनेजमेंट कोर्ट से प्रवेशित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।
 6. शासकीय संस्थाओं के संस्था प्रमुख अपने संस्था के छात्रों की छात्रवृत्ति स्वयं स्वीकृत करने के लिए अधिकृत हैं। अशासकीय संस्थाओं के छात्रों की स्वीकृति नोडल शासकीय संस्था प्रमुख की अनुसंसा पर नवीन प्रकरणों में जिले के कलेक्टर द्वारा एवं नवीनीकरण के प्रकरणों में आदिम जाती कल्याण विभाग के जिला अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।
 7. छात्रवृत्ति की उक्त स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है कि संबंधित संस्था प्रमुख एवं नोडल संस्था प्रमुख (शासकीय संस्थाओं के मामले में) को पो. मेट्रिक छात्रवृत्ति नियमों का भलीभांति ज्ञान है एवं उनके द्वारा इस संबंध में शासन द्वारा समय - समय पर जारी समस्त नियम निर्देशों का स्वीकृति से पूर्व पालन किया गया है।
 8. विद्यार्थी के वैधानिक खाता क्रमांक से प्राप्त होने वाली संस्था की शिक्षण शुल्क सहित अनिवार्य शुल्क विद्यार्थी द्वारा वैधानिक संस्था में जमा कराया जायेगी। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आगामी वर्ष की छात्रवृत्ति विद्यार्थी के द्वारा संस्था को शिक्षण शुल्क जमा कराने के बाद ही स्वीकृत की जायेगी।
- संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।


हस्ताक्षर/पदमूद्रा
शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
स्वीकृति अधिकारी, जिला - खरगोन
खरगोन
07282-241562

प्र.क्र.सं/आ.जा.का./पी.एम.एस/1231904/

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास विभाग, स्वयंसेवा हिल्स, भोपाल, म.प्र.
2. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला:- खरगोन
3. प्राचार्य, Govt P G College Khargone


हस्ताक्षर/पदमूद्रा
शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
स्वीकृति अधिकारी, जिला - खरगोन
खरगोन
07282-241562

